न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 08/2023 दायर दिनांक 18.01.2023

औंकारमल बनाम बीरबल

प्रार्थना पत्र – अं.आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी.
सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.

ऐडवोकेट प्रार्थी –श्री सुरेश कुमार सीगड़
ऐडवोकेट अप्रार्थी –श्री दीपेन्द्र सिंह जाखड़

आदेश

दिनांक–14.08.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अं. आदेश 9 नियम 13 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– अनावेदक सं0 1 बीरबल पुत्र मुकुन्दा जाति जाट निवासी नेहरों की ढाणी को एक दावा उनवानी बीरबल बनाम करणीराम आदि दावा नम्बर 169/2020 न्यायालय में पेश किया जिसमें प्रतिवादीगण के रूप में आवेदकगण सभी को बनाया गया तथा अनावेदक नं0 02 लगायत 12 भी उक्त उनवान के दावे में प्रतिवादीगण बनाये गये तथा अनावेदक नं0 1 बीरबल उक्त दावे में वादी बनकर दावा पेश किया हुआ है। दावा पेश करने के बाद सभी प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। उक्त दावा में प्रतिवादी नं0 1 करनीराम ने वादी बीरबल से षडयंत्रपूर्वक मिली भगत करके कोलूजन के तहत तामिल कुनिन्दा ओमप्रकाश से मिलीभगत की उसके पश्चात पोस्ट ऑफिस कोलसिया से काम करने वाले अभिषेक दूत एवं सतु महाराज से भी षडयंत्रपूर्वक मिली भगत करी तथा कोलूजन के तहत पोस्ट ऑफिस से काम करने वालो से मिलीभगत करके रजिस्टर्ड डाक भी प्रतिवादीगण को नही मिलने दी।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करते हुये एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2022, 31.08.2022 निरस्त किये जावे तथा आवेदकगण एवं अन्य अनावेदकगण नं0 3, 4, 5 को सुनवाई का विधिवत रूप से मौका दिया जावे जिससे आवेदकगण के साथ न्याय हो सके तथा आवेदकगण अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सके एवं न्यायालय भी सहज ही न्याय तक पहुंच सके।

वकील अप्रार्थी/वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों का अस्वीकार किया तथा वर्णित किया कि आवेदकगण का यह कथन कतई गलत है कि प्रतिवादीगण की तामिल विधिवत रूप से नही हुई है इसी कारण से प्रतिवादीगण को दिनांक 09.01.2023 तक उपरोक्त उनवान के दावे के बाबत पता नही चला हो बल्कि वास्तविकता यह है कि प्रतिवादीगण को प्रथम रोज से ही उक्त दावे की पूर्ण जानकारी रही है तथा जानबुझकर जानकारी होने के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहे है। आवेदकगण ने झुठे व मनगढंत तथ्य पेश किये है।

जवाब पेश होने बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने बहस के दौरान वाद पत्र के तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि 27 पक्षकारों के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई तथा प्राथमिक निर्णय व अंतिम निर्णय कर दिया गया। आवेदकगण को दिनांक 09.01.2023 को सूचना प्राप्त हुई उसके बाद मैने डे टू डे explain किया है तथा 17.01.2023 को प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है। प्रतिवादीगण की तामिल रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई है जिसके बाबत पत्रावली पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है। [illegible] हुई है जिसका गवाह [illegible] र चस्पांदगी से हुई है जिसका मनीराम पुत्र हीराराम है जो उस गांव में नही है। औका[illegible] नोटिस मिलीभगत गवाह भी मनीराम पुत्र हीराराम है जो [illegible] करवा दी गई है। अप्रार्थी संख्या से करवाई गई है। जिसकी माता मर चुकी है उसके नाम से [illegible] स्वरूप चल रहा 6, 7, 8 जिनका नाम है लेकिन कब्जा नही है। एक और दावा [illegible] रहा है जिसका नामांतरण अभी अप्रार्थी संख्या 6, 7, 8 का पूर्वज घासीराम पुत्र बोयत का नाम [illegible] नही हुआ है। दूसरी भूमि बीदसर मे भी है। नेहरों की ढाणी व बीदासर दोनों भूमि exchange कर दी गई है। बीदसर वाली भूमि अप्रार्थीगण को दे दी थी जबकि यहां वाली भूमि हमें मिलनी चाहिए थी। जबाब बहस में वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे जो आरोप लगाये गये है वो

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:42:16 IST
Reason: SelfAttested

करणीराम पर लगाये है जबकि करणीराम उस दावे में प्रतिवादी था वादी नही था। वादी व प्रतिवादी दोनों मिले हुए नही है। एकपक्षीय कार्यवाही बार बार हुई है एक ही बार में एकपक्षीय कार्यवाही नही हुई है। तामिल सही तरीके से करवाई गई है बावजूद तामिल उप0 नही हुए है इसलिए एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय जारी किया गया। सम्मन की तामिल अवैध तरीके से नही की गई है। आदेश 5 नियम 17 में चस्पांदगी के लिए अलग से आदेश की जरूरत नही है। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण की तामिल उसी पते पर हुई है तो दावे में उसी पते पर तामिल को गलत कसे माना जा सकता है। दिनांक 17.02.2021 को न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर रजि. डाक से तामिल का आदेश करवाया था उस आदेश पर हमारे खर्चे पर तामिल करवाई गई है। रसीद के एक माह बाद एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। प्राथमिक निर्णय जारी कर तहसीलदार ने सभी प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर वि0 प्रस्ताव बनाया है मौके पर आवेदकगण उप0 नही आये। रिब्यूटल में वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि तहसीलदार ने जो नोटिस प्राथमिक निर्णय के बाद दिये है उनमें भी उचित तामील नही हुई है उनमें सिर्फ बीरबल व करणीराम के ही हस्ताक्षर है।

बहस का मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की नोटिस की तामिल उचित रूप से नही हुई है जिससे प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर नही मिल सका जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत के विरूद्व है। इस प्रकार प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र मे उठाई गई आपति उचित प्रतीत होती है। प्रार्थीगण को भी प्रकरण में समुचित सुनवाई का अवसर नही मिलने से इनके वैध अधिकारो पर कुठाराधात है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को प्रत्येक पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 व 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2022 तथा अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2022 को अपास्त किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/08/24
(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फा.ट्रे.) नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:42:16 IST
Reason: SelfAttested